भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3864

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छता और पेयजल की सुविधाओं वाले घर

3864. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवासी परिसरों के भीतर शौचालय की सुविधा से रहित घरों का ग्रामीण तथा शहरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवासीय परिसर के भीतर पेयजल की सुविधा से रहित घरों का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र-वार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जनगणना 2011 के अनुसार उन परिवारों की ग्रामीण तथा शहरी, एससी, एसटी तथा कुल की श्रेणीवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या जिनके परिसरों के भीतर शौचालय की सुविधा नहीं है, **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

(ख) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 16.93% ग्रामीण परिवारों में उनके परिसरों के भीतर नल कनेक्शन द्वारा पेयजल की सुविधाएं मौजूद हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आकड़ा **अनुलग्नक-2** पर दिया गया है। इस संबंध में एससी, एसटी तथा अन्य श्रेणी-वार आंकड़ा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की शुरूआत 2 अक्तूबर, 2014 को हुई थी जिसका लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का

फोकस व्यवहारगत परिवर्तन और शौचालयों के उपयोग पर केन्द्रित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यापक अभियान द्वारा समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन पर बल दिया जा रहा है।
- वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण मात्र के बजाए पूर्ण रूप से ओडीएफ गांव के सृजन पर भी बल दिया गया है।
- भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए और नवाचारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी राज्यों को उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यनीति का चयन करने के लिए कार्यक्रम में लचीलापन दिया गया है।
- इसमें सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, जिसके लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम का नेतृत्व उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टरों को शामिल करते हुए राज्यों तथा मुख्य संसाधन केन्द्रों (केआरसी) नामक चयनित संगठनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- एनजीओ, कॉरपोरेट क्षेत्र, युवाओं आदि को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।
- समय को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर तकनीकी में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुरक्षा एवं व्यवहार्यता की दृष्टि से सभी नवीन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए प्रोमाशेल्कर .ए.आर. की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।
- जिलों की सहायता हेतु जिला स्वच्छता प्रेरकों को नियोजित किया गया है।

देश में स्वच्छता कवरेज दिनांक 2.10.2014 को 38.7% था जो दिनांक 26.03.2018 तक बढ़कर 79.6% हो गया है। 338 जिलों और 3,38,434 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

मंत्रालय ने 2017-2030 के लिए रणनीतिक लक्ष्य तैयार किया है जिसमें मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक "हर घर जल" प्राप्त करवाने का लक्ष्य रखा है अर्थात् राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2030 पर सहमति देते समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए अधिकतम वर्ष 2030 तक ग्रामीण आबादी को नल जल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन द्वारा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 10.11.2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन किया है ताकि इसे प्रतिस्पर्धी, लक्ष्य आधारित और परिणाम उन्मुख बनाया जा सके जिससे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

अनुलग्नक-1

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3864 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जनगणना 2011 के अनुसार उन परिवारों की ग्रामीण तथा शहरी, एससी, एसटी तथा कुल की श्रेणीवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या जिनके परिवारों के भीतर शौचालय की सुविधा नहीं है

राज्य/संघ राज्य	परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा रहित परिवारों की संख्या					
	एसटी-शहरी	एसटी-ग्रामीण	एससी-शहरी	एससी-ग्रामीण	कुल-ग्रामीण	कुल-शहरी
अंडमान और निकोबार	17	894			23490	4436
आंध्र प्रदेश	67387	1188033	231806	2213026	9660689	939842
अरुणाचल प्रदेश	3388	68592	12597		92584	6914
असम	5243	498080		213211	2172928	62436
बिहार	14072	351451	141667	2754133	13948351	625042
चण्डीगढ़			9856	220	815	28229
छत्तीसगढ़	78609	1410296	100068	552244	3747121	493023
दादरा एव नगर हवेली	3237	24494	490	186	26019	7045
दमन एवं दीव	860	1243	272	161	6200	6948
गोवा	4418	9085	1809	1449	36251	29224
गुजरात	92731	1297742	83550	343461	4529780	666252
हरियाणा			75198	395313	1302894	177118
हिमाचल प्रदेश	929	33997	6144	131497	437993	18065
जम्मू एवं कश्मीर	4679	187637	14976	136916	918996	64795
झारखंड	91507	1484599	102947	591951	4328676	491064
कर्नाटक	68198	599907	203353	1262698	5629662	800853
केरल	1232	37713	26816	75835	277347	93046
लक्ष्य द्वीप	125	48			49	187
मध्य प्रदेश	128022	2812560	282631	1684760	9663164	991151
महाराष्ट्र	233001	1477052	634326	1197784	8069798	3106832
मणिपुर	637	30087	870	2271	47039	7248
मेघालय	3468	174739	299	4386	194710	4939
मिजोरम	1529	15710	63	112	16176	1716
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			119932	6619	18760	331037
नागालैंड	4285	83505			87688	6210
ओडिशा	101725	1978709	147296	1398541	6997460	534329
पुडुचेरी			10017	22557	58003	37052
पंजाब			84193	556783	981647	138920
राजस्थान	48017	1643710	187178	1500469	7625916	555699
सिक्किम	440	6042	226	1123	14676	1721
तमिलनाडु	44111	207123	664565	2107298	7343106	2219316
त्रिपुरा		93530	1840	6500	112726	4963
उत्तर प्रदेश	30066	300768	401729	5668186	19929190	1258223
उत्तराखंड	1522	32580	14415	194343	645453	38054
पश्चिम बंगाल	50808	911782	291930	2374699	7306034	951890
	1084263	**16961708**	**3853059**	**25398732**	**116251391**	**14703818**

अनुलग्नक-2

दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3864 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण		
क्र. सं.	**राज्य**	**दिनांक 27/03/2018 की स्थिति के अनुसार पीडब्ल्यूएस सहित कुल घरेलू कनेक्शनों का %**
1	अंडमान और निकोबार	10.15
2	आंध्र प्रदेश	28.59
3	अरुणाचल प्रदेश	6.41
4	असम	2.05
5	बिहार	1.22
6	छत्तीसगढ़	8.73
7	गोवा	0
8	गुजरात	72.93
9	हरियाणा	47.73
10	हिमाचल प्रदेश	56.89
11	जम्मू एवं कश्मीर	28.61
12	झारखंड	4.44
13	कर्नाटक	41.6
14	केरल	15
15	मध्य प्रदेश	10.66
16	महाराष्ट्र	36.87
17	मणिपुर	4.98
18	मेघालय	1.15
19	मिजोरम	13.47
20	नागालैंड	4.96
21	ओडिशा	3.73
22	पुडुचेरी	50.35
23	पंजाब	47.82
24	राजस्थान	12.2
25	सिक्किम	99.32
26	तमिलनाडु	28.92
27	तेलंगाना	32.91
28	त्रिपुरा	2.45
29	उत्तर प्रदेश	0.53
30	उत्तराखंड	13.93
31	पश्चिम बंगाल	0.67
कुल		**16.93**

(स्रोत: आईएमआईएस का फार्मेट सी-36)